महिला सभा मार्गदर्शिका

क्यों, क्या, कब, कहां और कैसे?

आलेख एवं संकल्पना :

डॉ. अनिता,

प्रोफेसर एवं प्रभारी (यूएन वीमेन परियोजना)

प्रकाशन : 2017

इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर

यूएन वीमेन परियोजना अन्तर्गत प्रकाशित

मार्गदर्शन :

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार

मार्गदर्शन :
सुदर्शन सेठी
महानिदेशक एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव (ग्राविपंरा)
इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान,
(राज्य ग्रामीण विकास संस्थान),
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 302 004

आलेख एवं संकल्पना :
डॉ. अनिता
प्रोफेसर एवं प्रभारी
(पंचायती राज प्रशिक्षण एवं यूएन वीमेन परियोजना)

प्रकाशक :
इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान,
(राज्य ग्रामीण विकास संस्थान),
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 302 004
फोनः 0141–2706577–78, टेलीफैक्सः 0141–2706575

प्रकाशन वर्ष : द्वितीय अद्यतन संस्करण : 2017 (10,000 प्रतियाँ)

सहयोग व कवर डिजाईन (आर्टवर्क) :
डॉ. रूचि चतुर्वेदी
राज्य परियोजना अधिकारी, (यूएन वीमेन), राजस्थान
इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर

टाईप सैटिंग एवं लेआउट :
मोहन लाल शर्मा एवं जया सुखीजा
प्रशिक्षण सहायक, (संविदा पर), राज्य पंचायती राज संदर्भ केन्द्र
इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर

मुद्रक :
राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय ,
मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर
फोन : 0141–2751417 एवं 2751352

महिला सभा मार्गदर्शिका

महिला सभा-क्यों, क्या, कब, कहां और कैसे ?

पृष्ठभूमि एवं परिप्रेक्ष्य

प्रदेश में ग्राम सभाएँ और वार्ड सभाएँ तो प्रचलन में हैं, जो कि अपने क्षेत्र की विकास योजना हेतु प्राथमिकता तय करती हैं और विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों का चयन भी करती हैं। इसी प्रकार किसान सभा/मण्डल, किसानों की समस्या और ज़रूरतों पर विचार करते हैं। नवयुवक मण्डल–नवयुवकों के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। स्वयं सहायता समूह भी बहुतायत में हैं, जो कि सदस्यों की परस्पर बचत एवं साख गतिविधियों के संचालन से आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं। महिला स्वयं सहायता समूह भी हैं, जो ग्रामीण महिलाओं के बीच छोटी–छोटी बचत जुटाकर, परस्पर आवश्यकतानुसार लेन–देन करते हुए, महिलाओं को आर्थिक संबल देते हैं। आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत महिला मण्डल भी बने हुए हैं जो कि महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी मुद्दों पर बातचीत करते हैं।

मोटी बात यह है कि इतने प्रकार के मंच या समूह होते हुए भी, ग्रामीण परिवेश में ऐसा कोई आम मंच महिलाओं के लिए नियमित रूप से सक्रिय नहीं है–जहां गांव की महिलाऐं बैठक कर, महिलाओं की विकास संबंधी ज़रूरतों को तय करें और उन्हें गांव की विकास योजना में, ग्राम सभा व ग्राम पंचायत स्तर पर शामिल करावें। हमारे गांवों में महिला बहनों को अपनी विकास समस्याओं पर चर्चा कर, हल निकालने एवं विकास योजनाओं में अपनी भागीदारी दर्ज़ कराने के लिए एक नियमित मंच उपलब्ध कराने की नितान्त आवश्यकता है।

राजस्थान में, यूएन वीमेन परियोजना के प्रथम चरण–(2012–14) में चयनित 3 ज़िलों में एवं कालान्तर में पूरे प्रदेश में–दिनांक 19 नवम्बर, 2012 से महिला सभा–आयोजन की सार्थक पहल करने हेतु सभी ग्राम पंचायतों में, महिला सशक्तिकरण एवं विकास मुद्दों पर केन्द्रित विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन–राज्य सरकार के निर्देशानुसार शुरू हुआ। इन ग्राम सभाओं द्वारा, हर ग्राम सभा के पहले, महिला सभा का आयोजन कर,

विकास नियोजन में महिलाओं की विकास आवश्यकताओं का समावेश करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

अब ज़रूरत है इस महिला सभा के सार्थक प्रयोग को पुर्नजीवित कर, उसे महिलाओं की विकास ज़रूरतों के एक नियमित संवाद–मंच के रूप में विकसित करने की। यूएन वीमेन परियोजना के द्वितीय चरण–(2016–18) में, परियोजना के चयनित ज़िलों–अलवर एवं उदयपुर में, महिला सभा को जीवन्त बनाने एवं महिलाओं द्वारा अनुभूत विकास आवश्यकताओं को 'ग्राम पंचायत विकास नियोजन' (GPDP) से जोड़ने की सशक्त पहल की जाएगी।

महिला सभा क्यों ज़रूरी ?

यूं तो कहने को ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं में सदस्य के तौर पर महिला सदस्य भी शामिल हैं, परन्तु सभी को पता है कि इन सभाओं में महिला भागीदारी बहुत ही कम होती है। हमारे प्रदेश में पुरूष–प्रधान संस्कृति की विरासत के कारण, गांवों में आज भी सार्वजनिक मंचों पर महिला भागीदारी का माहौल ही नहीं है। घूंघट प्रथा की आड़ में, गांव के बड़े बुजुर्गों के सामने आने, साथ बैठने एवं उनके सामने बोलने वाली महिलाओं पर लोक–लाज को ताक में रख देने का लांछन लगाया जाता है। यही कारण है कि ग्राम सभा और वार्ड सभा की सदस्य होने के बावजूद, महिलाएँ इन सभाओं में सक्रिय नहीं हो पाती हैं और इन सभाओं के द्वारा प्रस्तावित विकास प्राथमिकताओं और लाभार्थी चयन में महिला–हितों की आज भी अनदेखी होती है।

पंचायतों को स्थानीय सरकारे के रूप में सौंपी गई–सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास की संवैधानिक ज़िम्मेदारी को व्यवहार में लागू करने के लिए ज़रूरी है कि गांव की महिलाओं को भी अपने विकास–मुद्दे तय करने और महिलाओं की लाभार्थी सूची तैयार करने के लिए, महिला सभा जैसा उचित मंच उपलब्ध कराया जाये। महिला सभाओं द्वारा तय की गई विकास प्राथमिकताओं को उचित सम्मान देते हुए, वरीयता से ग्राम पंचायत की साधारण सभा द्वारा एवं ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित करा कर, गांवों की विकास योजना में महिला हितों का समावेश किया जाये। तभी

समाज में महिलाओं और पुरूषों–दोनों वर्गों के हित, समानता के हक से संरक्षित हो सकेंगे। जिस समाज में महिलाओं को भी पुरूषों के समान विकास के अवसर मिलेंगे यानि–दीर्घायु व स्वस्थ जीवन, शिक्षा एवं रोज़गार, सम्मान एवं सुरक्षा तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनैतिक भागीदारी के बराबरी के मौके–तभी हमारे गांव, पंचायतें, प्रदेश और देश, जैण्डर–समानता की कसौटी पर आगे बढ़ेंगे व 'सस्टेनेबल डवलपमेंट गोल्स' (SDGs) के वर्ष 2030 तक विकास–लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में प्रगति करेंगे।

महिला सभा क्या, कब, कहां ?

महिला सभा गांव की सभी बालिग (18 साल से ऊपर) उम्र की महिला बहनों का मंच है। इस सभा में, 18 साल से ऊपर की गांव में रहने वाली सभी महिला बहनें सदस्य हैं। महिला सभा का आयोजन–हर ग्राम सभा के पूर्व यानि न्यूनतम हर त्रैमास में एक बार, ग्राम पंचायत द्वारा–पंचायत के गांवों में बारी–बारी से कराया जाना है। अतः यदि किसी पंचायत में 4 राजस्व गांव हैं, तो महिला सभा का आयोजन गांव–वार बारी–बारी से, अलग–अलग तिथियों में रखा जावे, ताकि पंचायत के सरपंच व सचिव उसमें भागीदारी कर सकें। सरपंच व सचिव की भागीदारी इसलिए ज़रूरी है कि महिला सभाओं से प्राप्त प्रस्तावों को प्राथमिकता से, पंचायत की वार्षिक विकास योजना (GPDP) में शामिल किया जा सके।

ग्राम सभाओं के आयोजन कैलेंडर से 15 दिन पूर्व ही पंचायत के गांवों में महिला सभाओं का आयोजन सुनिश्चित किया जावे, ताकि प्राप्त प्रस्तावों का समावेश ग्राम सभा में किया जा सके।

महिला सभा का कोरम

राजस्व गांव में उपलब्ध 18 साल से ऊपर की महिला निवासियों की न्यूनतम 10 प्रतिशत भागीदारी पर महिला सभा का कोरम पूरा होना माना जाये। साथ ही राजस्व गांव में रहने वाली अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय की बालिग महिलाओं की भी उनकी आबादी के अनुपात में 10 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। कोरम के अभाव में महिला सभा स्थगित करनी होगी तथा दुबारा बुलायी गयी महिला सभा में भी कोरम की आवश्यकता लागू रहेगी।

महिला सभा का सफल आयोजन कैसे ?

चूंकि प्रदेश में महिला सभाओं का गठन व आयोजन एक सार्थक पहल है, इसलिए इनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए चरणबद्ध तैयारी ज़रूरी होगी। इन सभाओं की तैयारी के तीन प्रमुख चरण होंगे जो आगे चरणवार वांछित तैयारी के साथ वर्णित हैं :

प्रथम चरण : महिला सभाओं की पूर्व तैयारी

- पंचायत के राजस्व गांवों में महिला सभाओं की अलग–अलग तिथियां, त्रैमास में होने वाली ग्राम सभा के कम से कम 15 दिन पहले सम्पन्न हो जाने के हिसाब से तय करें।
- महिला सभा की तयशुदा तिथियों की जानकारी–गांव के महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्याओं के माध्यम से, आंगनवाड़ी केन्द्रों व महिला मण्डलों के माध्यम से, वार्ड पंचों एवं समस्त महिला विकास कर्मियों के माध्यम से, गांव के स्कूलों में घोषणा कराकर, गांव में डोंडी पिटवाकर/मुनादी कराकर एवं राशन की दुकान, चल रहे महानरेगा कार्य स्थलों पर, स्वास्थ्य उप केन्द्र, बस स्टेण्ड आदि पर नोटिस चस्पा कर एवं सेवा प्रदाताओं के माध्यम से गांव की महिलाओं को महिला सभा की तिथि, स्थान एवं समय की पूर्व सूचना दी जावे और उन्हें सभा में भाग लेने हेतु प्रेरित किया जावे।
- महिला सभा आयोजन स्थल ऐसा चुनें–जो सभी महिलाओं के आने–जाने हेतु सुगम व सुरक्षित हो। सभी महिलाओं को सम्मानजनक तरीके से बिठाने की व्यवस्था सुनिश्चित हो।
- महिला सभा में अधिकाधिक महिलाएँ भाग लें, यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी पंचायत के अधीन कार्यरत महिला विकास कर्मियों जैसे–साथिन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, महिला शिक्षिकाओं व एएनएम तथा गांव की शिक्षित महिलाओं व वार्ड पंचों को दी जावे। साथ ही गांव में चल रहे नवयुवक मण्डल, किसान–

मंच, महिला स्वयं सहायता समूह, किशोर बालिका मंच आदि भी महिला सभाओं को सफल बनाने में प्रचार–प्रसार की भूमिका निभाएं।

- हर महिला स्वयं सहायता समूह सदस्य को यह संकल्प दिलाया जावे कि वे सभी स्वयं भी और अपने आस–पड़ौस की महिलाओं की भी, महिला सभा में भागीदारी सुनिश्चित करें।
- महिला सभा की होने वाली बैठक के एजेण्डा बिन्दु भी सार्वजनिक स्थलों पर–बैठक सूचना में एवं डोंडी पिटवाकर गांव–गांव सुनाये जावें।
- महिला सभा का समय महिलाओं की सुविधा अनुसार तय किया जावे, जिस समय वे अपने अन्य दायित्वों से निवृत होकर पूरे मन से भाग ले सकें।

द्वितीय चरण : महिला सभा आयोजन-बैठक के दौरान ध्यान बिन्दु

- सभी महिलाएँ एक ही जाजम पर गोलाकार बैठक व्यवस्था में, आमने–सामने आपस में खुलकर बातचीत कर सकें–इस रूप में उन्हें बैठाया जावे।
- बैठक का संचालन सरपंच की अध्यक्षता एवं ग्राम सेवक के सहयोग से हो, किन्तु सहजकर्ता की भूमिका साथिन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व महिला पर्यवेक्षक तथा आशा सहयोगिनी निभाएँ।
- यदि किसी महिला सभा बैठक में सरपंच किसी कारणवश न आ सकें तो उप–सरपंच या वरिष्ठ महिला वार्ड पंच द्वारा अध्यक्षता करायी जा सकती है।
- बैठक का एजेण्डा ग्राम सेवक द्वारा बैठक के प्रारम्भ में ही बिन्दुवार पढ़कर सुनाया जावे और तदनुरूप एक–एक बिन्दुवार चर्चा करायी जावे।

महिला सभा बैठकों में प्रस्तावित चर्चा बिन्दु (एजेण्डा)

- √ गांवों में महिलाओं एवं लड़कियों द्वारा महसूस की जा रही समस्याओं पर चर्चा
- √ महिलाओं व लड़कियों द्वारा वांछित गांव में विकास अवसर एवं सुविधाओं पर चर्चा
- √ महिलाओं व लड़कियों पर घरों एवं सार्वजनिक स्थलों पर होने वाली हिंसा एवं उसकी रोकथाम की रणनीति पर चर्चा
- √ महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी व चर्चा
- √ गांवों में बालिका शिक्षा हेतु स्कूल व्यवस्था व उसमें गुणात्मक सुधार पर चर्चा
- √ साक्षरता एवं सतत् शिक्षा कार्यक्रम के तहत महिला साक्षरता बढ़ाने के प्रयासों पर चर्चा
- √ महिलाओं व बच्चों हेतु उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर चर्चा
- √ गांव की आबादी में बच्चियों की घटती संख्या एवं कम होती महिला आबादी व लिंगानुपात
- √ घटते लिंग अनुपात (हर हज़ार लड़कों पर कम होती लड़कियों की आबादी) के बुरे सामाजिक परिणामों तथा भ्रूण लिंग जाँच निषेध अधिनियम, 1996 की जानकारी एवं चर्चा
- √ सामाजिक कुरीतियों जैसे–बाल–विवाह, दहेज–प्रथा, नशा तथा इनसे जुड़ी हिंसा, नाता प्रथा, घरेलू हिंसा, डायन प्रथा आदि पर विस्तार से चर्चा व रोकथाम के उपाय
- √ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु चल रही विकास योजनाओं की जानकारी व चर्चा, जैसे–महानरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (राजीविका), खादी एवं ग्रामोद्योग, लघु–उद्योग, स्वयं सहायता समूह एवं कौशल प्रशिक्षण, नाबार्ड से जुड़ी महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक संबल की योजनाएँ, भामाशाह योजना आदि।
- √ महिलाओं एवं बच्चों में व्याप्त कुपोषण की पहचान एवं उसे दूर करने के उपाय तथा आंगनवाड़ी कार्यक्रम की सेवाओं पर चर्चा
- √ गांवों में उपलब्ध पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाएँ–विशेषकर महिलाओं द्वारा वांछित पेयजल व स्वच्छता सुविधाओं की पहचान : हर घर व आंगनवाड़ी में शौचालय निर्माण एवं हर स्कूल में बालिकाओं हेतु पृथक शौचालय बनाये जाने के संदर्भ में
- √ कृषि एवं पशुपालन विभाग की योजनाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिला किसानों हेतु उपलब्ध अवसरों की जानकारी एवं इच्छुक महिलाओं का चयन
- √ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की महिलाओं व बालिकाओं संबंधी सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ, जैसे–वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, बालिका छात्रवृति, विधवा महिला की पुत्री के विवाह पर उपलब्ध सहायता आदि की जानकारी एवं पात्र महिलाओं व बालिकाओं का चयन
- √ महिलाओं के कानूनी अधिकारों की जानकारी एवं चर्चा
- √ सम्पत्ति में महिलाओं का मालिकाना हक संरक्षित करने हेतु ज़मीन नामान्तरण प्रक्रिया में बेटियों को भी बेटों के समान उत्तराधिकारी बनने के अधिकार और पंचायतों का दायित्व
- √ जल–जंगल–जमीन सम्बन्धी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व सामुदायिक प्रबंधन के मामलों पर चर्चा तथा महिलाओं द्वारा स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोग हेतु लागू उज्जवला योजना की जानकारी
- √ महिलाओं द्वारा जैण्डर समानता को बढ़ावा देने एवं जैण्डर विभेद दूर करने संबंधी बिन्दु

तृतीय चरण : महिला सभा में लिये गये प्रस्तावों पर अमल के लिए-सभा के बाद की कार्रवाई

- महिला सभा बैठकों में आपसी राय कर, बहुमत से लिए गये निर्णय–प्रस्तावों को बैठक कार्रवाई विवरण के रूप में तैयार करने की ज़िम्मेदारी ग्राम सेवक की रहेगी, परन्तु इसमें सहयोग साथिन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व आशा सहयोगिनी से भी अपेक्षित है।
- हर महिला सभा का बैठक कार्रवाई विवरण, आगामी पाक्षिक बैठक में–ग्राम पंचायत की साधारण सभा में अनुमोदनार्थ रखा जावे।
- ग्राम पंचायत से यह अपेक्षा है कि महिला सभा से प्राप्त प्रस्तावों पर प्राथमिकता से अमल कराने हेतु–उक्त प्रस्ताव संबंधित स्थाई समितियों को, संबंधित विभागों को एवं आगामी ग्राम सभा में भी अनुमोदनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु रखा जावे ।
- ग्राम पंचायत की यह भी ज़िम्मेदारी है कि महिला सभा से प्राप्त विकास संबंधी प्रस्तावों को पंचायत की वार्षिक विकास योजना (GPDP) में प्राथमिकता से शामिल करें ।
- महिला सभा को सार्थक एवं सफल बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यकर्ताओं यथा–साथिन, आंगनवाड़ी–कार्यकर्ता व आशा सहयोगिनी–ग्राम पंचायत की बैठकों में, महिला सभा से प्राप्त प्रस्तावों को सशक्त रूप से उठाकर, पंचायत की वार्षिक विकास योजना में अवश्य शामिल करावें।
- महिला सभा की सदस्य बहिनों की भी ज़िम्मेदारी है की वे अपनी बैठक के प्रस्तावों को पुरज़ोर तरीके से ग्राम सभा की बैठकों में भी उठावें, ताकिं ग्राम सभा के बहुमत से पारित प्रस्तावों में महिला सभा के प्रस्तावों को प्राथमिकता से शामिल किया जावे।
- गांव के समस्त महिला स्वयं सहायता समूहों को यह संकल्प लेना होगा कि उनकी सभी सदस्य बहनें खुद भी ग्राम सभा में अवश्य

जायेंगी तथा अपने आस–पड़ौस की बहनों को भी ग्राम सभा में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगी।

- महिला सभाओं को सक्रिय करने की ज़िम्मेदारी सभी सरपंचों, वार्डपंचों एवं ग्राम सेवकों की है। विशेष सहयोगी भूमिका महिला–बाल विकास कार्यकर्ताओं की है। साथ ही ग्राम सभाओं में महिला भागीदारी बढ़ाने की भूमिका सभी महिला सभा सदस्यों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों की भी है।
- महिला सभा का मंच हर गांव में बनाने, उसकी नियमित त्रैमासिक बैठकें सुनिश्चित कराने और महिला सभा बैठकों से प्राप्त प्रस्तावों पर–पंचायत के माध्यम से अमल कराने की पूरी ज़िम्मेदारी–हर पंचायत समिति एवं ज़िला परिषद् की सतत् देख–रेख में ही संभव होगी।

अतिलम्बनीय

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क0एफ.4(10)महिलासभा/विधि/पंरा/2012/2326 जयपुर,दि0 30.10.2012

1. ज़िला कलेक्टर,
समस्त, राजस्थान
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद, समस्त, राजस्थान ।

विषयः–*महिला केन्द्रित मुद्दों पर चर्चा करने एवं महिला सभाओं के गठन व आयोजन बाबत प्रस्ताव पारित करने हेतु विशेष ग्राम सभा दिनांक 19 नवम्बर, 2012 को आयोजित करने के सन्दर्भ में।*

राज्य सरकार द्वारा यह महसूस किया गया है कि प्रतिकूल बाल लिंग अनुपात (Adverse Child Sex Ratio), सार्वजनिक स्थलों पर महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, समय से पूर्व मातृत्व जैसे महिलाओं से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर यदि महिलाओं के स्वयं के द्वारा सामूहिक चर्चा कर, इन समस्याओं को दूर करने हेतु पहल की जावे तो महिलाओं से जुड़े ऐसे मुद्दों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सकती है । इस परिप्रेक्ष्य में यह उचित समझा गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रथम सोपान पंचायत स्तर पर इस प्रयास की पहल की जावे ।

इसकी शुरूआत के लिए राज्य की समस्त पंचायतों द्वारा महिला केन्द्रित मुद्दों पर व्यापक चर्चा करने हेतु पूरे राज्य में एक ही दिवस को एक विशेष ग्रामसभा का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। 19 नवम्बर को देश की पूर्व प्रधानमंत्री एवं देश में महिला शक्ति की प्रतीक स्व0 इंदिरा गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर उक्त विशेष ग्राम सभाएँ आयोजित की जाएँ। पूरे राज्य में इस अभिनव कार्य के माध्यम से स्व0 इंदिरा गांधी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की जावे।

आमतौर पर यह पाया जाता है कि ग्राम सभा की बैठकों के दौरान अधिकांश महिलाएँ, ग्राम के पुरूषों की उपस्थिति में खुलकर अपने विचार रखने में झिझक महसूस करती हैं । अतः यह अपरिहार्य हो जाता है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए महिलाओं की बैठकें निर्धारित समय अंतराल पर आयोजित किये जाने हेतु महिला सभाओं का गठन किया जावे । इस संदर्भ में आपसे यह अपेक्षा है कि उपर्युक्तानुसार 19 नवम्बर, 2012 को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभाओं में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए महिला सभा के गठन का प्रस्ताव भी पारित करवाया जावे ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपर्युक्तानुसार 19 नवम्बर, 2012 को अपने–अपने ज़िले में महिला केन्द्रित मुद्दों पर विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन सुनिश्चित करावें । इस विशेष ग्राम सभा के लिए विचारणीय बिन्दु (Agenda) इस प्रकार से होंगे:–

1. पंचायतों द्वारा लड़कियों एवं महिलाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए विशेष कार्रवाई करना जैसे सार्वजनिक स्थलों पर उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, समय से पूर्व मातृत्व, महिलाओं के लिए भोजन एवं चिकित्सा सेवा के अपर्याप्त प्रबंध पर विचार।
2. स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार, गत कुछ वर्षों में लड़कों एवं लड़कियों की जन्म दर, महिलाओं के मुकाबले अधिक संख्या में पुरूष होने के दुष्परिणाम, गैर कानूनी भ्रूण का लिंग निर्धारण तथ बालिका भ्रूण हत्या एवं एडवोकेसी के जरिए बालिकाओं का महत्व बढ़ाना ।
3. राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा क्रियांवित की जा रही महिलाओं से संबंधित योजनाओं पर विचार–विमर्श एवं इनकी जानकारी आम महिला तक पहुंचाये जाने के प्रयासों एवं बाल अधिकार संरक्षण के संबंध में भी चर्चा ।
4. महिलाओं का सीधा संबंध रसोई से भी जुड़ा है एवं उन्हें ईंधन के लिए जलावन, लकड़ी का इंतजाम करना पड़ता है, अतः शामलात भूमि के संरक्षण एवं संवर्द्धन पर भी चर्चा ।
5. घरों में शौचालय नहीं होने से महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है, अतः खुले में शौचमुक्त निर्मल ग्राम बनाने पर चर्चा ।
6. महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हेतु महिला सभा के गठन का प्रस्ताव पारित करना । (पारित किये जाने वाले प्रस्ताव का प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है ।)
7. इसके अतिरिक्त महिलाओं द्वारा अनुभूत की जा रही आवश्यकताओं के अनुसार उनके स्वयं के द्वारा सुझाए जाने वाले बिन्दुओं पर चर्चा ।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप राज्य सरकार की महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता की भावना को समझते हुए, अपना व्यक्तिगत ध्यान देकर 19 नवम्बर, 2012 को समस्त ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाली विशेष ग्रामसभाओं में महिला केन्द्रित मुद्दों पर चर्चा कराने के साथ–साथ महिला सभाओं के गठन संबंधी प्रस्ताव भी पारित करवायेंगे। यहां यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि उपर्युक्तानुसार विशेष ग्रामसभाओं के सम्पन्न होने के पश्चात आप अपने–अपने ज़िले में आयोजित हुई इस विशेष ग्रामसभा की सूचना इस विभाग को अवश्य प्रेषित करेंगे एवं महिला सभाओं के अनिवार्य एवं नियमित आयोजन को सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नः– प्रस्ताव का प्रारूप ।

(सी0एस0 राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः–
1.प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2.निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पं0 राज, जयपुर ।
3.निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पं0 राज, जयपुर ।
4.निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
5.शासन सचिव एवं आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया बाल अधिकार संरक्षण पर चर्चा करने हेतु आपके विभाग के संबंधित अधिकारियों को उपर्युक्तानुसार होने वाली विशेष ग्राम सभाओं में उपस्थित होने के लिए पाबन्द करावें ।
6.शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्तानुसार आयोजित होने वाली विशेष ग्रामसभाओं में भाग लेने हेतु महिलाओं को प्रेरित करने के लिए आपके स्तर से भी साथिन एवं महिला पर्यवेक्षकों को निर्देशित करवाये जाने की व्यवस्था करावें ।
7.अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद, समस्त, राजस्थान ।
8.विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त, राजस्थान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि समस्त ग्राम पंचायतों में उपर्युक्तानुसार विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन सुनिश्चित करावें ।
9.रक्षित पत्रावली ।

शासन सचिव एवं आयुक्त

19 नवम्बर, 2012 को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभाओं में महिला सभा के गठन एवं आयोजन बाबत पारित किये जाने वाले प्रस्ताव का प्रारूप

सार्वजनिक स्थल पर महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, समय से पूर्व मातृत्व, महिलाओं के मुकाबले अधिक संख्या में पुरूष होने के परिणामों एवं महिलाओं से जुड़े अन्य सभी मुद्दों पर चर्चा कर, सार्थक कार्रवाई सुनिश्चित करने के महत्व की आवश्यकता को देखते हुए ग्राम सभा में यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि ग्राम पंचायत_____(ग्राम पंचायत का नाम) की सभी महिला मतदाताओं की एक महिला सभा का गठन किया जाता है। यह महिला सभा महिलाओं से जुड़े सभी विषयों पर चर्चा कर निर्णय लेने में सक्षम होगी। इस महिला सभा की कम से कम तीन माह में एक-बार-बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित होगी । बैठक की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जावेगी तथा सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा साथिन या आशा सहयोगिनी/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सहयोग से बैठक का कार्यवाही विवरण लिखा जावेगा तथा इस कार्यवाही विवरण को ग्राम पंचायत की साधारण सभा के अवसर पर, ग्राम पंचायत के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा जावेगा ।

महिला सभा की बैठक के लिए कोरम ग्राम पंचायत की कुल महिला मतदाताओं का दस प्रतिशत होगा । इस महिला सभा में महिला स्वयं सहायता समूह के समस्त सदस्यों एवं महिला वार्ड पंचों द्वारा अनिवार्य रूप से भाग लिया जावेगा । महिला सभा के आयोजन के लिए महिलाओं को प्रेरित करने का कार्य साथिन एवं साथिन पदस्थापित न होने की दशा में आशा सहयोगिनी/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किया जावेगा । महिला सभा में ग्राम पंचायत की अधिकारिता क्षेत्र में पदस्थापित प्रत्येक सरकारी महिला अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा उपस्थित होना अनिवार्य होगा ।

ग्राम पंचायत, इस महिला सभा द्वारा लिये गए निर्णयों की क्रियांविति करवाया जाना सुनिश्चित करेगी ।

ग्राम पंचायत विकास प्लान हेतु संसाधन नियोजन (रिसोर्स–एन्वलप)

ग्राम सभा द्वारा पारित पंचायत विकास प्लान पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधन कहां–कहां से जुटाये जायेंगे–यह भी समग्र, एकीकृत, समावेशी विकास प्लान में दर्शाना ज़रूरी है। ग्राम पंचायतों की विकास योजना को साकार करने के लिए प्रमुख आश्वस्त स्त्रोत हैं :

- 14वां केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान (एफएफसी अनुदान राशि)
- पंचम राज्य वित्त आयोग अनुदान (एसएफसी अनुदान राशि)
- ओन सोर्स रेवेन्यू (OSR)–पंचायत की वास्तविक निजी आय–गत 3 सालों के आधार पर
- महात्मा गांधी नरेगा के स्वीकृत लेबर बजट अनुसार मिलने वाली राशि
- अन्य सीएसएस योजनाओं (केन्द्र सरकार) व राज्य सरकार की योजनाओं से संभावित राशि
- अन्य हस्तान्तरित विभागों की योजनाओं (जिन पर पंचायत निर्णय लेने में सक्षम) की राशि
- स्वैच्छिक जन–सहयोग (नकद, सामग्री अथवा श्रम सहयोग के रूप में)–राज्य द्वारा अनुमानित लागत आंकते हुए दर्शायी जावे
- कॉरपोरेट सोशयल रेस्पोन्सेबिलिटी (CSR) के तहत पंचायत को प्रतिबद्ध राशि
- उपरोक्त संसाधनों के तहत महिलाओं/बालिकाओं के विकास हेतु बजट–प्रावधान

महिला सशक्तिकरण संकल्प गान

घर–घर अलख जगाएंगे, यह संदेश पहुंचाएंगे,
नव–वर्ष के संकल्पों में, यह संकल्प दोहरायेंगे–

हर त्रैमासिक ग्राम सभा में, महिला भागीदारी बढ़ायेंगे
जैण्डर समानता का लक्ष्य–अब ग्राम सभा में सफल बनायेंगे।

'महिला सभा' को सक्रिय कर, महिला–विकास के मुद्दे उठायेंगे
जैण्डर समानता आधारित, पंचायत विकास योजना बनायेंगे।

महिला सशक्तिकरण बढ़ाकर, मानव जीवन बेहतर बनायेंगे
सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) की चेतना गांव–गांव पहुंचायेंगे।